



-प्रेस नोट-

दिनांक 30.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध स्मैक की तस्करी में एक महिला अभियुक्ता सहित कुल 03 नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 415 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये), 6140/- रुपये नकद व अन्य सामान बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा तस्कर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. मुस्तफा पुत्र गफ्फूर निवासी मौहल्ला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर, 2. भूरा उर्फ रईस पुत्र गफ्फूर निवासी मौहल्ला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर व 3. श्रीमती नवाबो पत्नी मुस्तकीम निवासी मौहल्ला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को मौहल्ला नूर बस्ती में मुस्तफा के मकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 415 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये), 6140/- रुपये नकद, 02 इलेक्ट्रॉनिक कांटे व पैकिंग का अन्य सामान बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 19/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट बनाम मुस्तफा व 06 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया गया कि हमारा भाई सोनू उर्फ शकील पुत्र गफ्फूर काफी समय पहले से स्मैक बेचने का काम करता है तथा कुछ महीने पहले पुलिस ने शकील के घर पर ज्यादा दबिश देना शुरू कर दिया था जिस कारण सोनू उर्फ शकील ने अपना स्मैक बेचने का काम इस घर में शुरू कर दिया था तथा हम सभी एक ही परिवार के हैं जिस कारण हम सभी लोग एक साथ ही मिलकर स्मैक बेचने का काम करते हैं और उसी काम में कुछ दिन पहले सोनू बरेली से शमीम नाम के व्यक्ति से काफी मात्रा में लाखों रुपये की स्मैक खरीद कर ले आया था आज हम तीनों लोग अपने 03 अन्य साथियों के साथ स्मैक को पीसकर पाउडर बनाकर उन्हे तय मात्रा के अनुसार छोटी, बड़ी पुडियाओ में पैक कर रहे थे। इस काम में अच्छा मुनाफा होता है। आज भी हम लोग घर में स्मैक की पुडिया बना रहे थे तो आप लोग आ गये। हमारे 03 अन्य साथी मौके से फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मुस्तफा पुत्र गफ्फूर निवासी मौहल्ला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. भूरा उर्फ रईस पुत्र गफ्फूर निवासी मौहल्ला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. नवाबो पत्नी मुस्तकीम निवासी मौहल्ला नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 6140 रुपये नकद
- 415 ग्राम अवैध स्मैक
- 02 इलेक्ट्रॉनिक काँटा

➤ 05 लाईटर व अन्य सामान बरामद

अभियुक्त मुस्तफा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 251/22 धारा 147/149/323/325/336 भादवि थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 239/21 धारा 332/353/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

अभियुक्त भूरा उर्फ रईस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 38/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 10 गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 236/24 धारा 8/20 NDPS Act थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 216/21 धारा 8/20 NDPS Act थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. व0उ0नि0 श्री रईश अहमद थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
4. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री अमरीश कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
6. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
7. है0का0 122 संजय सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
8. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
9. का0 2330 सचिन थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
10. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
11. म0का0 828 पूजा निश्चल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
12. म0का0 187 अनु तोमर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर



दिनांक:- 30.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुये 02 शातिर

मोबाइल चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी किये गये 05 एन्ड्रॉइड

मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.1.25 को वादी नईम अहमद पुत्र श्री जहीर अहमद निवासी लख्कीगेट प्रथम थाना मंडी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की दुकान से वादी का मोबाइल चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0स0 53/25 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम मुकदमा उपरोक्त में मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 शातिर मोबाइल चोर/अभियुक्तगण 1. आरिफ उर्फ मुन्ना पुत्र महबूब निवासी नदीम कालोनी गली न0 2 पानी की टंकी के सामने थाना कुतुबशेर सहारनपुर व 2. दानिश उर्फ मोनू पुत्र महबूब निवासी नदीम कालोनी गली न0 2 पानी की टंकी के सामने थाना कुतुबशेर सहारनपुर को कमेला कालोनी पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी गया 01 मोबाइल फोन रियलमी कम्पनी, 01 वनपल्स कम्पनी मोबाइल फोन (सम्बन्धित मु0अ0सं0 54/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना मण्डी), व चोरी 03 अन्य मोबाइल बरामद। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी व अन्य 03 मोबाइल की बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 55/25 धारा 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम दोनो भाई-भाई हैं और हम दोनों मिलकर मोबाइल फोन चोरी करते हैं अभी कुछ दिन पहले दिनांक 25 तारीख को एक मोबाइल फोन जो रीयल-मी कम्पनी का है वह दानिश ने मौ0 लख्कीगेट से ज्वैलरी की दुकान से चोरी किया था तथा मैं, दुकान के पास मे ही गली मे खडा हुआ था तथा दिनांक 26 जनवरी 2025 को हम लोगो ने एक वनप्लस का मोबाइल मैसूर पैलेस के पास सैनेटरी की दुकान से चोरी किया था बाकी तीनों मोबाइल फोन का हमे ध्यान नही है कि हमने यह मोबाइल फोन कहा से चोरी किये थे। हम दोनो भाई मोबाइल चोरी करके राह चलते लोगो को औने पौने दाम पर बेच देते हैं जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं। आज हम इन मोबाइलों को राह चलते व्यक्तियों को बेचने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आरिफ उर्फ मुन्ना पुत्र महबूब नि0 नदीम कालोनी गली न02 पानी की टंकी के सामने थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. दानिश उर्फ मोनू पुत्र महबूब नि0 नदीम कालोनी गली न0 2 पानी की टंकी के सामने थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 एन्ड्रोईड मोबाइल रीयल-मी कम्पनी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 53/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना मण्डी)
- 01 एन्ड्रोईड मोबाइल वनप्लस कम्पनी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 54/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना मण्डी)
- 02 एन्ड्रोईड मोबाइल ओप्पो कम्पनी
- 01 एन्ड्रोईड मोबाइल रेडमी कम्पनी

अभियुक्त दानिश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 41/24 धारा 392, 411 भा0द0वि0 थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 53/25 धारा 305ए बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 54/25 धारा 305ए बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 55/25 धारा 317(5) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर

अभियुक्त आरिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 358/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 139/24 धारा 8/2 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 53/25 धारा 305ए बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 54/25 धारा 305ए बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 55/25 धारा 317(5) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राजकुमार त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 451 अमित थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 2221 लोकेश कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रतनलाल निवासी ग्राम कादरपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के गौवंश को चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 35/25 धारा- 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक बेहट को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.01.25 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा रात्रि में चैकिंग के दौरान 02 शातिर गौकश अभियुक्तगण 1- इरफान पुत्र बशीर नि0 मौ0 सडकपार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2- महारूब पुत्र शहीद नि0 मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर को अमन गार्डन से कादरपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के अन्य साथी रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। अभियुक्तगण के कब्जे से एक छुरा, एक कुल्हाड़ी व गौवंश को बाँधने के लिये इस्तेमाल होने वाले रस्से बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 3/5/8 सीएस एक्ट व 11(ठ) पशु क्रूरता अधिनियम की बढोतरी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग आवारा घूमते पशुओं गाय व उनके बछड़ों आदि को पकड़कर जंगल में एकान्त जगह की तलाश कर कटान कर देते हैं तथा मांस बेचकर जो पैसा मिलता है उसको बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। दिनांक 26/27.01.25 की रात में हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम कादरपुर में एक घर में बँधी गाय को चोरी कर तथा रस्सी में मुँह बांध कर अपने साथ ले गये थे तथा मुस्तफा के बाग में ले जाकर काट दिया था तथा गौमाँस को काट पीटकर बोरों में भरकर आसपास के गाँव कस्बों में बेच दिया था। आज भी हम लोग गौवंश को तलाश करते घूम रहे थे तो आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

- 1- इरफान पुत्र बशीर नि0 मौ0 सडकपार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- 2- महारूब पुत्र शहीद नि0 मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 35/25 धारा- 305(ए)/317(2) बीएनएस व 3/5/8 सीएस एक्ट व 1(ठ) पशु क्रूरता अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद छुरा
- 01 अदद कुल्हाड़ी
- 03 रस्से

➤ 01 लकडी की टुकडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री रोबिल्स कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. है0का0 518 प्रदीप हुड्डा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. का0 2036 हर्ष तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. का0 1344 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक 30.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करते 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 34 गिट्टू प्रतिबंधित चाइनीज मांझा (19.360 किलोग्राम) व 3800/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री करते हुए 01 अभियुक्त सालिक पुत्र सलीम निवासी गली नं0 5 चांद कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को सतीश मेडीकल स्टोर के पास गली न0-1 हबीबगढ मे एक बन्द मकान से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 34 गिट्टू प्रतिबंधित चाइनीज मांझा (19.360 किलोग्राम) व 3800 रुपये नकद बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सालिक उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 30/2025 धारा 223बी/125(ए) बीएनएस व 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सालिक पुत्र सलीम निवासी गली नं0 5 चांद कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 34 गिट्टू प्रतिबंधित चाइनीज मांझा
- 3800 रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 840 अनुज आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 30.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु) तथा 1000/- रुपये नकद बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.2025 को वादी श्री शाहबाद अहमद पुत्र सगीर अहमद नि0 नई बस्ती खानआलमपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभि0गण 1. शाहरुख पुत्र गुलशेर नि0 अब्दुल रब वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर 2. तौसीफ पुत्र अज्ञात नि0 डौलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा वादी के घर से दिनांक 25.01.25 की रात्रि 02.30 बजे चाँदी की एक पायल व 5000/- रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 32/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी को आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **शाहरुख पुत्र गुलशेर नि0 अब्दुल रब वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर** को खानआलमपुरा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की गई 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व 1000/- रुपये बरामद किये हुए । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख पुत्र गुलशेर नि0 अब्दुल रब वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर

बरामदगी

- 01जोड़ी पायल (सफेद धातु)
- 1000/- रुपये नकद

अभियुक्त शाहरुख का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 310/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 376/2020 धारा 414 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 378/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 302/21 धारा 302 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 327/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 221/2020 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 338/21 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रनपाल सिंह थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. है0का0 103 राजेन्द्र सिंह थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. हो0गा0 470 गुरुचरण सिंह थाना जनकपुरी, सहारनपुर



दिनांक: 30.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 पशु चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 कटिया
बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.01.2025 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा ग्राम दाबकी गुर्जर से कटिया चोरी करने वाला 01 पशु चोर अभियुक्त **सोनू उर्फ फरमान पुत्र इलियास निवासी बुड्डाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को चोरी की गयी कटिया के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 303(2)317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू उर्फ फरमान पुत्र इलियास निवासी बुड्डाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 कटिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 547 पंकज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1253 अनिरुद्ध थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 2251 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 30.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

कुल 124 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त अनस पुत्र रिजवान निवासी गोल्डन कालोनी, पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर को जुल्मगढ की पुलिया सकलापुरी रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 124 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 57/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा नशा करने का आदी हूँ यह चरस मैं जंगल में भांग रगड़ रहे अज्ञात व्यक्तियों से खरीदकर लाया था। यह चरस को कुछ तो मैं पी लेता हूँ और कुछ को बेच देता हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनस पुत्र रिजवान निवासी गोल्डन कालोनी, पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 124 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. है0का0 477 विनोद कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
4. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग युवती से छेड़छाड़ करने वाले 01 अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.01.2025 को वादिया द्वारा थाना सदर बाजार उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.हर्षित उर्फ हर्ष पुत्र संजीव निवासी लक्ष्मी टाउन थाना सदर बाजार सहारनपुर 2.हर्ष उर्फ खली पुत्र चरणसिंह निवासी प्रकाश लोक कालोनी कुतुबशेर 3.आदित्य त्यागी पुत्र नामालूम के द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ कर गाँली गलौच करते हुए मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 53/25 धारा 126(2)/74/75/78/115(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार टीम द्वारा आज दिनांक 30.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **हर्ष उर्फ खली पुत्र चरण सिंह निवासी प्रकाश लोक कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर** को प्रकाश लोक कालोनी के खाली पडे मैदान से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में पोक्सो एक्ट की धारा 9जी/10/11/12 की वृद्धि की गई । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हर्ष उर्फ खली पुत्र चरण सिंह निवासी प्रकाश लोक कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
2. है0का0 235 विनीत कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. का0 2011अजय कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.01.2025 को 03 वारण्टी अभियुक्त 1. सलमान पुत्र इनाम निवासी ग्राम वाजिद कालोनी कस्बा व थाना गागलहेडी सम्बन्धित वाद स0 710/24 धारा /147/148/452/504/506/325/376/511 भादवि व 3/18 पोक्सो अधिनियम 2. अनस पुत्र रईस निवासी ग्राम वाजिद कालोनी कस्बा व थाना गागलहेडी सम्बन्धित वाद स0 710/24 धारा 147/148/452/504/506/325/376/511 भादवि व 3/18 पोक्सो अधिनियम 3. अमजद पुत्र असलम निवासी वाजिद कालोनी कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 3033/22 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर कस्बा गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.सलमान पुत्र इनाम निवासी ग्राम वाजिद कालोनी कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 2.अनस पुत्र रईस निवासी ग्राम वाजिद कालोनी कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 3.अमजद पुत्र असलम निवासी वाजिद कालोनी कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 3.है0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 4.का0 1035 हरेन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 30.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नकबजनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 टैबलेट रियल मी, 01 आधार कार्ड, 02 आई कार्ड रेलवे व 01 वोटर आईडी कार्ड बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.12.2024 को वादी श्री मीर सिंह पुत्र श्री हरिराम निवासी म0न0 172 पैरामाउण्ट गार्डन दिल्ली रोड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान के मैन दरवाजे से कूदकर लोबी में लगे दरवाजे का ताला तोड़कर मोबाईल फोन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 740/2024 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर नकबजनी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व दिनांक 30.01.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 नकबजन/अभियुक्तगण 1. अंकित पुत्र सुभाष नि0 नवादा रोड जाली वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2. शिबु उर्फ गुल्ली पुत्र रामवचन नि0 अभिषेक नगर नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को ग्राम नवादा से जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी व बरामदगी व के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5)/112 बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित थाना सदर बाजार का हिस्ट्रीशीटर है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि यह सामान हम दोनों ने मिलकर करीब एक-डेढ़ महीने पहले पैरामाउण्ट कालोनी में एक मकान से रात्रि में ताला तोड़कर चोरी किया था। आज हम पैरामाउण्ट कालोनी के कच्चे रास्ते से ग्राम नवादा की ओर टैबलेट को बेचने के लिये पुलिस से बचते बचाते जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अंकित पुत्र सुभाष नि0 नवादा रोड जाली वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. शिबु उर्फ गुल्ली पुत्र रामवचन नि0 अभिषेक नगर नवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 टैबलेट रियल मी पैड-2
- 01 आधार कार्ड
- 02 आई कार्ड उत्तर रेलवे
- 01 वोटर आईडी कार्ड
- 01 रेलवे पास

➤ 01 गैस की किताब

अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 137/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0 239/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. मु0अ0स0 627/2019 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
4. मु0अ0स0 628/2019 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
5. मु0अ0स0 629/2019 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
6. मु0अ0स0 801/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
7. मु0अ0स0 740/2024 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर ।

अभियुक्त शिबू उर्फ गुल्ली का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 740/2024 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. है0का0 587 प्रदीप थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
4. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक 30.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जनपद वाराणसी के मेंटल हारस्पिटल से भागे हुये हत्या के आरोपी 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 30.03.2024 को थाना कोतवाली देहात पर वादिया श्रीमति सायरा पत्नी चान्द निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ने सूचना दी कि दिनांक 29.03.2024 को अभियुक्त समीर पुत्र मौ० शमी निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व इसके साथियों ने मेरे पुत्र अदनान व उसके मित्र मिजान को चाकु मारकर घायल कर दिया है। इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मेरे पुत्र अदनान की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 142/2024 धारा 147/148/149/302/323/307 भादवि बनाम समीर आदि पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी थी। तमामी विवेचना से अभियुक्तगणों का चालान द्वारा आरोप पत्र दिनांक 24/05/2024 के मा० न्यायालय किया गया था।

मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के आदेश दिनांकित 28.05.2024 के द्वारा जिला कारागार सहारनपुर में विचाराधीन उक्त बंदी **समीर पुत्र मौ० शमी निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को मानसिक उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय वाराणसी भजने हेतु आदेश पारित किया गया था जिसके अनुपालन में दिनांक 28.06.2024 को मानसिक चिकित्सालय वाराणसी में समीर उपरोक्त को स्थानान्तरित किया गया था। उपचार के उपरान्त मानसिक चिकित्सालय वाराणसी के विजिटर्स बोर्ड की बैठक जो माननीय जनपद न्यायाधीश बनारस की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2024 को सम्पन्न हुई थी उसमें अभियुक्त समीर उपरोक्त को मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया था। स्वस्थ होने के पश्चात अभियुक्त समीर उपरोक्त दिनांक 28.01.2025 को समय करीब 08.00 बजे शौच करने का बहाना करके मानसिक चिकित्सालय वाराणसी से भाग गया था। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त समीर उपरोक्त के विरुद्ध थाना केन्ट कमिश्नर वाराणसी पर मु०अ०सं० 84/25 धारा 261/262 बीएनएस दिनांक 29.01.2025 को पंजीकृत किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.01.2025 को थाना को०देहात पुलिस टीम द्वारा बेहट रोड दानिश कालोनी के कब्रिस्तान के पास से अभियुक्त **समीर पुत्र मौ० शमी निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

समीर पुत्र मौ० शमी निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का० 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।